न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र संख्या / 2021 / 12

1. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर
2. कल्याण पुत्र भूराराम
3. कैलाश पुत्र रामेश्वर
4. कालूराम पुत्र गुल्ला
5. गंगाराम पुत्र घासीराम
6. गीता पुत्री गोपीराम
7. घासी पुत्र कालू
8. घीसी देवी पत्नी गोगाराम
9. चौथमल पुत्र पोखर
10. छोटी देवी पुत्री गोपीराम
11. छोटीलाल पुत्र घासीराम
12. जगदीश पुत्र महादेव
13. धन्ना देवी पुत्री पोखर
14. नाथूलाल पुत्र पोखर
15. प्रहलादराम पुत्र गुल्ला
16. पोखर पुत्र फून्दा
17. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल
18. बिरदीचन्द पुत्र गोगाराम
19. बोदूराम पुत्र गुल्ला
20. भैरूराम पुत्र महादेव
21. मदन लाल पुत्र घासीराम
22. मदनी पुत्री गोपीराम
23. मुन्ना देवी पुत्री पोखर
24. मुन्नाराम पुत्र घासीराम
25. मुरली देवी पत्नी पोखर
26. मांगीलाल पुत्र महादेव
27. मीरा देवी पुत्री पोखर
28. मोतीलाल पुत्र भूराराम
29. रतन लाल पुत्र गोपीराम
30. रतन लाल पुत्र पोखर
31. रूपनारायण पुत्र गुल्ला
32. रामू पुत्र कालू
33. रामजीलाल पुत्र भूराराम
34. रामलाल पुत्र भंवरलाल
35. रामेश्वर प्रसाद पुत्र भूराराम
36. लालाराम पुत्र गोपीराम
37. लालाराम पुत्र गोकल

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

38. लाली देवी पुत्री गोपीराम
39. श्योजी पुत्र कालू
40. शान्ति पत्नी रामेश्वर
41. शारदा देवी पुत्री पोखर
42. सूज्या पुत्र बींजा
43. सुरज्ञान पुत्र बींजा
44. सीता पुत्री गोपीराम
45. हनुमान पुत्र फून्दा
46. हरिनारायण पुत्र भूराराम

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम चिरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र गोपीराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामपुरावास देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. गौरव अग्रवाल पुत्र पवन कुमार जाति महाजन निवासी गीजगढ हवा सडक जयपुर।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बगरू जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक
4. कैनरा बैंक शाखा बगरू जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक
5. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0
बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय दिनांकः 09.02.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र टीआई इस आशय के साथ पेश किया गया कि राजस्व ग्राम चिरोटा पटवार क्षैत्र अजयराजपुरा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान स्थित आराजी खाता संख्या नया 9 व पुराना 4 के खसरा नंबर 40 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 41 रकबा 0.17 हैक्टेयर खसरा नंबर 43 रकबा 0.04 हैक्टेयर खसरा नंबर 45 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नंबर 47 रकबा 0.25 हैक्टेयर खसरा नंबर 49 रकबा 0.50 हैक्टेयर खसरान बर 52 रकबा 0.71 हैक्टेयर खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

नंबर 91/539 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 3.60 हैक्टेयर स्थित हैं, जो इस वाद में विवादग्रस्त आराजी हैं। जिसे इस वाद पत्र के आगे के मदो में विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। राजस्व ग्राम विरोटा पटवार क्षैत्र अजयराजपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान स्थित आराजी खाता संख्या नया 9 व पुराना 4 के खसरा नंम्बरान् जो मि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कुल किता 12 कुल रकबा 3.60 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/72 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/20 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का 1/72 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 का 1/128 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 का 6747/215936 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 6 का 1/672 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 7 का 1/24 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 8 का 1/64 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 9 का 1/128 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 10 का 1/672 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 11 का 6747/215936 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 12 का 43/2880, प्रार्थी संख्या 13 का 1/128 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 14 का 1/28 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 15 का 1/128 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 16 का 1/32 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 17 का 1333/46400 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 18 का 1/64 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 19 का 1333/46400 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 20 का 1333/43200 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 21 का 6747/215936 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 22 का 1/672 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 23 का 1/128 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 24 का 6747/215936 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 25 का 1/128 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 26 का 6747/615936 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 27 का 1/128, प्रार्थी संख्या 28 का 1/20 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 29 का 1/672 व 57/13496 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 30 का 1/128 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 32 का 1/24 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 33 का 1/20 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 34 का 1333/46400 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 35 का 1/20 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 36 का 57/13496 व 1/672 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 38 का 1/64 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 39 का 1/24 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 40 का 1/72 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 41 का 1/128 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 42 का 1/24 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 43 का 1/24 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 44 का 1/672 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 45 का 1/32 हिस्सा, प्रा[illegible]6 का 1/20 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 7/400 हिस्सा व अप्रार्थी [illegible]2 का 375/26992 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित है, [illegible] पर सरस नरस के आधार पर बाहमी बंटवारा कर काबिज [illegible]श्त करते हुए लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण एवं इनके साथ आये

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

भू–माफिया लोगो ने दिनांक 25.01.2021 को विवादित आराजी के बिना विधिक तकासमा विभाजन के ही नाप जोख कर पत्थर की ट्रोली निर्माण बाबत् लेकर आया। जिस पर प्रार्थीगण ने निर्माण कार्य से पहले तहसील चलकर सहमति से तकासमा करने की बात कही, जिस पर अप्रार्थीगण भडक गये और एलानिया धमकी दी कि हम विवादित आराजी के सबसे अच्छे भाग पर पुख्ता निर्माण कर लेंगे और काबिज हो जायेगें। जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण आपस में मनबट के आधार पर वर्गीकरण करके काश्त कर रहे हैं। जिस पर दिनांक 25.01.2021 को तो अप्रार्थीगण व इनके साथ आये भू–माफिया लोग चले गये लेकिन बार–बार विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण करने की कुचेष्टा कर रहे है। जिससे वादकारण उत्पन्न हुआ तथा वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ। प्रार्थीगण को हक वं अधिकार हासिल है कि विवादित आराजी के अपने अभिलिखित शामलाती हिस्से को विधिक विभाजन द्वारा अलग करो लेवें तथा पृथक से खाता लगान व राजस्व नक्शा काम करवावें। प्रार्थीगण को हक व अधिकार हासिल है कि अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवायें कि विवादित आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें कोई खाम या पुख्ता निर्माण नही करें, उक्त कृत्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें, बेचान हस्तान्तरण नही करें, मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि, विवादित आराजी ग्राम चिरोटा पटवार क्षैत्र अजयराजपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कलवाडा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान स्थित आराजी खाता संख्या नया 9 व पुराना 4 के खसरा नंबर 40 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 41 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 43 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 44 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 45 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नंबर 46 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 47 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 48 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा [illegible] रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 52 रकबा 0.71 [illegible] रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल [illegible] को बेदखल नही करें, कोई खाम या पुख्ता निर्माण नही करें, उक्त कृत्य ना तो अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें, बैचान हस्तान्तरण नही करें मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ हाल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व जवाब टीआई प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब टीआई में अंकित है कि – मात्र वाद प्रस्तुत करने व वादग्रस्त भूमि को विवादित बनाने के लिए उक्त चरण में समस्थ तथ्यों को कल्पना के आधार पर लिखा गया है जिसमें लेस मात्र भी सच्चाई नही है पत्थरो की ट्रोली लाना व भूमाफिया लोगो को लेकर आना एवं वादीगण के कहने पर वापिस चले जाना सभी तथ्य झूठे व काल्पनिक है जिनमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई निहित नही है उक्त प्रार्थना पत्र झूंठे तथ्यो पर आधारित होने के कारण प्रार्थीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से में सन 2004 से ही काबिज काश्त है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 को किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी नही है। क्योंकि अप्रार्थी ना तो किसी को कब्जे से बेदखल कर रहा है और ना ही किसी के कब्जे में दखलन्दाजी कर रहा है। अप्रार्थी पूर्व से ही अपने कब्जे में स्थित है तथा भविष्य में भी वही पर रहना चाहता है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा कब्जे से बेदखल करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की बात मिथ्या है।

जवाब के अतिरिक्त कथन में अंकित है कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 7/400 निहित है। अप्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त आराजीयात स्व0 श्री महादेव पुत्र श्री गौरू से दिनांक 14.05.2004 को क्रय की थी जिसका रजिस्ट्रेशन उप पंजीयक सांगानेर जयपुर के यहाँ पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 432 में पृष्ठ संख्या 44, क्रम संख्या 2004003946 में दर्ज किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1332, के पृष्ठ संख्या 404 से 415 पर चस्पा किया गया है उक्त आराजी भूमि क्रय करते समय ही महादेव ने अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा संभला दिया गया था तथा अप्रार्थी [illegible] की मर्जी व रजामन्दी से ही उक्त आराजी [illegible] संभाल लिया था तभी से अप्रार्थी संख्या 1 का [illegible] है। जिसका कभी किसी सह–काश्तकार ने कोई आपत्ति नही की। [illegible] संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि को क्रय करते समय ही खसरा नंबर 40 के उत्तर पूर्वी कोने में कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 16:38:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

संभाल लिया था तथा सभी सह खातेदारो की सहमति से ही अप्रार्थी ने खसरा नंबर 40 के अपने सम्पूर्ण हिस्से में कब्जा कर लिया था तथा पुख्ता 7 फीट उँची बाउण्ड्रीवाल का तथा एक कमरे व दो दुकानो का निर्माण कर लिया था। उक्त दुकानो में अप्रार्थी द्वारा आटा चक्की व अन्य मशीने लगा रखी है। तथा शेष भूमि पर अप्रार्थी ने आरा मशीन लगा रखी थी जिस पर लकडियो का कार्य होता था उक्त सभी कार्य सई सालो तक सभी काश्तकारो की सहमति से ही चले आ रहे थे जिसमें किसी काश्तकार को कोई परेशानी व एतराज नही था। वर्ष 2015 में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने कब्जे की भूमि खसरा नंबर 40 पर अपने हिस्से में टीनशेड का सम्पूर्ण निर्माण सभी खातेदारो की सहमति से ही किया था उस वक्त भी किसी काश्तकार व सह खातेदार ने कोई ऑब्जेक्शन नही किया था। परन्तु वर्तमान में जमीनों की कीमते बढ जाने व अप्रार्थी द्वारा किये गये निर्माण कार्य से प्रार्थीगण के मन में जलन व खौट उत्पन्न हो गया है जिससे अप्रार्थी को ऐन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से परेशान कर रूपये ऐठे जा सके, जबकि वर्ष 2004 से ही खसरा नंबर 40 के उत्तरी पूर्वी कोने पर अप्रार्थी का कब्जा निहित है अप्रार्थी का उक्त कब्जा 17 वर्ष से उक्त भूमि पर निहित है इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन का हित भी कायम है। इसलिये अप्रार्थी को उक्त भूमि में से किसी भी प्रकार से बेदखल नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा से अनेक बार नाजायज परेशान करने के लिये रूपये मांगे गये व अप्रार्थी द्वारा नही देने पर अप्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि यदि हमारे को रूपये नही दोगें तो तुम्हारे इस ढाचे को हम तुडवाकर ही दम लेगे जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा क्लीन हैण्डस से उक्त वाद पत्र प्रस्तुत नही किया गया है मात्र अप्रार्थी को नाजायज हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या 3 में उल्लेखित घटना दिनांक 25.01.2021 को घटित हुई ही नही है जब अप्रार्थी ने अपने सम्पूर्ण हिस्से पर सन् 2004 से ही खसरा नंबर 40 पर कब्जा कर पुख्ता निर्माण कर रखा है तो 2021 में कब्जा करना व पत्थरो की ट्रोली लाना सरासर झूॅठ है मात्र वाद प्रस्तुत करने व भूमि को वादग्रस्त बनाने के लिये उक्त घटना घटित होना बताया गया है जिस [illegible] तथ्य सत्य व सही नही है अप्रार्थी कब्जे के आधार पर तकासमी व वि[illegible] एवं खाता व लगान कायमी के लिये सदैव तैयार व तत्पर [illegible] भी कब्जे के आधार पर विभाजन करवाने के लिए सदैव तैयार व तत्पर है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र झूठे व बेबुनियादी तथ्यो पर आधारित होने के कारण मय विशेष हर्जे खर्चे के खारिज फरमाये जाने के आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद में उभयपक्ष की सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। चूंकि मूलवाद अन्तिम निस्तारण में है ऐसे में मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़े।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र टीआई स्वीकार किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 28.01.2021 को कन्फर्म किया जाता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खाता संख्या नया 9 पुराना 4 के खसरा नंबर 40 रकबा 0.2300 है0, 41 रकबा 0.1700 है0, 42 रकबा 0.1600 है0, 43 रकबा 0.0400 है0, 44 रकबा 0.0100 है0, 45 रकबा 0.6200 है0, 46 रकबा 0.3100 है0, 47 रकबा 0.2500 है0, 48 रकबा 0.5400 है0, 49 रकबा 0.5000 है0, 52 रकबा 0.7100 है0, 91/539 रकबा 0.0600 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 3.6000 हैक्टेयर वाकै ग्राम चिरोटा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner